

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 434
दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: गुजरात में मत्स्य पालन

434. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मत्स्य पालन हेतु कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
- (ख) गुजरात में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की क्षमता संबंधी अनुमान का ब्यौरा क्या है;
- (ग) मात्स्यिकी संबंधी योजनाओं के अंतर्गत मछुआरों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में रोजगार सृजन और निष्पादित मत्स्य उत्पादन संबंधी विकास कार्यों के निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) और (ख)- मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय ने केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) "नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास तथा प्रबंधन" के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को राज्य में पिसिकल्चर सहित मात्स्यिकी तथा जलकृषि (अक्वाकल्चर) विकास के लिए 33.35 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की है। उक्त अवधि के दौरान गुजरात सरकार ने उपरोक्त राशि में से इस प्रयोजन के लिए 3.61 करोड़ रु. की धनराशि का उपयोग किया है। सी.एस.एस. के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत ब्यौरावार प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) तथा (घ)- मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, सी.एस.एस. के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे मछुवारों को परंपरागत नौकाओं के मोटरीकरण, फाइबर रिन्फोर्ड्स प्लास्टिक (एफ.आर.पी.) बोटों की खरीद, लकड़ी की/ट्रेडिशनल नौकाओं को बदलने, ओपन सी केज कल्चर, सीवीड कल्टीवेशन, बाइवाल्व कल्चर तथा समुद्री पानी में पर्ल कल्चर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें। सी.एस.एस. के अधीन फिश फीड मिल स्थापित करने, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना यथा- आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट-कम-कोल्ड स्टोरेज विकास तथा फिश हार्बर/फिश लैंडिंग सेंटर विकास करने तथा अक्वाकल्चर क्रियाकलाप करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से मछुवारों, मत्स्य-किसानों तथा फिश-वर्करों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर तैयार करने में भी सहायता मिलती है। गुजरात सरकार ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने तीन वर्षों के दौरान 1180 हेक्टेयर जलक्षेत्र में हितग्राहियों को खारापानी अक्वाकल्चर, एक झींगा हैचरी तथा दो फीड-मिल स्थापित करने के लिए आंबटन किया है। इसके अतिरिक्त राज्य में 1,915 हितग्राही मत्स्य-बीज पालन (फिश-सीड रिपरिंग) में लगे हैं, तथा 2.13 लाख सक्रिय मछुवारे मत्स्यपालन क्रियाकलापों में लगे हैं।
